न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी   श्रीमती अंशुल आमेरिया (R A S)
राजस्व प्रकरण संख्या   61 / 2021

प्रवाद

नन्दा दत्तक पुत्र छोटू जाति मीणा निवासी ग्राम बुबानिया, नसीराबाद, अजमेर।

वादी   जरिये अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. हरजी पुत्र कालू जाति मीणा नि0 ग्राम बुबानिया, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

प्रतिवादी : 1 अनुपस्थित, 2 जरिये राज0 पैराकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 अ रा0ज0 काश्त0 अधि0 1955

:: आदेश ::   दिनांक :- 24.11.22

अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत वाद पत्र का निवेदन किया कि ग्राम बुबानिया कि निम्न आराजी वादी के दत्तक पिता की खातेदारी की आराजी है जिसका वर्णन निम्न प्रकार है

खाता संख्या	किता / खसरा नम्बर	रकबा
773 / 802	773	0.94
688 / 704	किता 3	0.24
456 / 481	किता 12	2.51
353 / 386	किता 7	2.03
232 / 259	771	0.10
164 / 178	किता 2	1.43

आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में वादी के दत्तक पिता छोटू पुत्र कालू के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी के दत्तक पिता छोटू ने स्वयं के जाईन्दा पुत्र नहीं होने पर दिनांक 15.01.2012 को वादी को गोद पुत्र स्वीकार किया था। वादी ने अपने दत्तक पिता की सेवा की व उनका समस्त क्रियाकर्म पुत्र की भांति अदा किया। वादी के दत्तक पिता की मृत्यु हो गई है। किन्तु अधिकार अभिलेख [illegible] दर्ज नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण बिना किसी अधिकार के आराजी [illegible] दखलदारी कर रहे है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार [illegible] का जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

रा0 प0 पैराकार ने जाहिर किया कि वादी [illegible] स्वयं सिद्ध करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:39:09 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व अन्य दस्तावेज पेश किये एवं वादी मन्दर तथा गवाह रघुनाथ सिंह, रामदेव के बयान करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। विद्वान अधिवक्ता व राज0 पेशकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में छोटू पुत्र कालू व अन्य व्यक्तियों के सह खातेदारी में दर्ज है। वादी का कथन है कि छोटू पुत्र कालू की मृत्यु हो गयी है। उसकी पत्नी की मृत्यु पूर्व में हो गयी थी तथा छोटू ने अपने जीवनकाल में वादी को गोद लिया था। इसके समर्थन में वादी द्वारा गोदनामें की छाया प्रति, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड पेश किये है। किन्तु वादी द्वारा प्रकरण में अन्य समस्त सह खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है ना ही शजरा पेश किया है। वादी उक्त वाद में मात्र विरासत का अनुतोष चाहता है। उक्त तथ्यों की जॉच तहसीलदार नसीराबाद द्वारा ही की जानी है। मृतक छोटू के वारिसों की सही स्थिति की जानकारी व अन्य सह खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण नहीं किया जा सकता है।

अतः वाद का निस्तारण इस आशय से किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद प्रकरण में धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विधिक प्रावधानानुसार पक्षकार को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर देते हुये नामान्तरकरण/विरासत की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:39:09 IST
Reason: SelfAttested